

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या 12/10/2023

रजि० नं० 2023/12

प्रवेश तिथि 09.02.2023

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री दुलीचन्द पुत्र बुधाराम जाति जाट निवारी
ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला
अलवर। (राजस्थान)

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
अधिकारी किशनगढबास।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

--:: निर्णय ::--

05.04.2023

1-अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास को आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2022 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।

2-अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

3-अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास से जरिये नोटिस क्रमांक 98 दिनांक 10.02.2023 से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 22.02.2023 को उपस्थित आवे।

4-अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास से अपील का बिन्दुवार जवाब प्राप्त नहीं होने पर पुनः स्मरण पत्र क्रमांक 106 दिनांक 27.02.2023, 113 दिनांक 09.03.2023 जारी किये गये जिनकी पालना में पत्र जर्ने पत्र क्रमांक 9721 दिनांक 21.03.2023 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास ने अपील का बिन्दुवार जवाब पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। अपील में प्रस्तुत जवाब से जाहिर है, कि अपीलार्थी को की जा रही कार्यवाही की आंशिक सूचना से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की गयी है। जिसके फलस्वरूप अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5-राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास द्वारा अपेक्षित कार्यवाही कर पालना की जा रही है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित-प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।



निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुताम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रथम)
अलवर, (राज०)